न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 भनीण
अनुवान गिरधारीलाल बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 548/2025
निर्णय दिनांक 10/11/2025

गिरधारी लाल पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर भनीण में प्रकरण इस आशय का पेश प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि रोही मौजा भनीण पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 48 खसरा सं. 1248/748 तादादी 0.5564 हैक्ट., ख.नं. 1249/71 तादादी 1.7324 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात भूमि राजस्व नक्शें में मुताबिक मौका कब्जा अनुसार अंकित नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि उक्त खसरे की भूमि को राजस्व नक्शें में तरमीम मुताबिक मौका के कब्जा काश्त के अनुसार शुद्ध करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 1246/71 की तादादी वर्तमान नक्शे में 1.122 हैक्ट. जबकि जमाबंदी में 0.3667 हैक्ट., खसरा नं. 1249/71 की तादादी वर्तमान नक्शे में 2.11 हैक्ट. जबकि जमाबंदी में 1.7323 हैक्ट., खसरा नं. 1250/71 की तादादी वर्तमान नक्शे में 0.62 हैक्ट जबकि जमाबंदी में 1.5174 हैक्ट., खसरा नं. 1247/71 की तादादी वर्तमान नक्शे में 0.15 हैक्ट. जबकि जमाबंदी में 0.3920 हैक्ट. दर्ज है। अतः मुताबिक जमाबंदी रकबा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शा तरमीम शुद्ध की जानी उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र के उक्त खसरा नं. की भूमि का जमाबंदी व मौके पर रकबा सही है किंतु राजस्व नक्शा की तरमीम में गलत है। जिसमें सुधार करवाने की मांग की गई। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट भी उक्त खसरा नंबर की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में गलत अंकित होना बताया गया है एवं सुधार करने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भनीण पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 48 खसरा सं. 1248/748 तादादी 0.5564 हैक्ट., ख. नं. 1249/71 तादादी 1.7324 हैक्ट. भूमि के राजस्व नक्शे में अनेक्चर ए में अंकितानुसार मुताबिक जमाबंदी रकबा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही भूमि की तरमीम शुद्ध की जावे। है। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट एवं अनेक्चर 'ए' निर्णय का हिस्सा रहेगा। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर